



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/चार/तीन/सं.क.वि./2025/

645

भिलाई, दिनांक 16/09/2025

//आदेश//

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन/भूमियों पर बकाया राशि की वसूली हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट(शक्ति पत्र) जारी किये गये हैं।

अतः बकाया राशि की वसूली हेतु अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों का दल गठन किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री अजय सिंह राजपूत	जोन आयुक्त	जोन 1 न.पा.नि. भिलाई
2	सुश्री येशा लहरे	जोन आयुक्त	जोन 2 न.पा.नि. भिलाई
3	सुश्री येशा लहरे	जोन आयुक्त	जोन 3 न.पा.नि. भिलाई
4	श्री अमरनाथ दुबे	जोन आयुक्त	जोन 4 न.पा.नि. भिलाई
5	श्री कुलदीप गुप्ता	जोन आयुक्त	जोन 5 न.पा.नि. भिलाई
6	श्री तिलेश्वर साहू	जनसम्पर्क अधिकारी	न.पा.नि. भिलाई
7	श्री प्रसन्न तिवारी	प्र. सहा. रा. अधिकारी	जोन 1 न.पा.नि. भिलाई
8	श्री अजय कुमार शुक्ला	प्र. सहा. रा. अधिकारी	जोन 1 न.पा.नि. भिलाई
9	श्री शरद कुमार दुबे	प्र. सहा. रा. अधिकारी	जोन 2 न.पा.नि. भिलाई
10	श्री बसंत देवांगन	प्र. सहा. रा. अधिकारी	जोन 3 न.पा.नि. भिलाई
11	श्री बालकृष्ण नायडू	प्र. सहा. रा. अधिकारी	जोन 4 न.पा.नि. भिलाई
12	श्री बसंत देवांगन	प्र. सहा. रा. अधिकारी	जोन 5 न.पा.नि. भिलाई

प्रत्येक जोन के जोन आयुक्त/प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी जिस भवन/भूमि पर बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही कुर्की के माध्यम से किया जाना है, उस भवन/भूमि के स्वामी से संपर्क कर राशि की वसूली हेतु एक दिन पूर्व अवगत करा दिया जावे। यदि राशि जमा नहीं की जाती है, तो बकाया राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जावेगी।

कुर्की की कार्यवाही हेतु जोनवार कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.	जोन क्र.	कुर्की अधिकारी	कुर्की हेतु नियत दिनांक
1	1, नेहरूनगर	श्री प्रसन्न तिवारी, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी	22.09.2025, 23.09.2025, 13.10.2025, 14.10.2025, 06.11.2025, 07.11.2025, 17.11.2025, 18.11.2025
2	2, वैशालीनगर	श्री शरद कुमार दुबे, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी	25.09.2025, 26.09.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 10.11.2025
3	3, मदरटेरेसा नगर	श्री बसंत देवांगन, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी	29.09.2025, 30.09.2025, 21.10.2025, 22.10.2025, 12.11.2025
4	4, शिवाजीनगर	श्री बालकृष्ण नायडू, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी	06.10.2025, 07.10.2025, 29.10.2025, 30.10.2025, 14.11.2025

5	5, सेक्टर-6	श्री बसंत देवांगन, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी	09.10.2025, 10.10.2025, 03.11.2025, 04.11.2025
---	-------------	---	---

उपरोक्त संबंध में गठित दल के अधिकारी/कर्मचारी नियत दिनांक को मुख्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होकर कुर्की/वसूली की कार्यवाही के लिये प्रस्थान करेंगे। संबंधित जोन के सहायक राजस्व अधिकारी कुर्की की कार्यवाही के दौरान पर्याप्त मात्रा में सुपुर्दगीनामा पत्रक, कुर्क पत्रक एवं सील/मोहर, स्टेशनरी आदि भी साथ में रखेंगे। कुर्की के दौरान मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा. लिमि. ब्रांच भिलाई के कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। संबंधित जोन के जोन आयुक्त/प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी कुर्की के माध्यम से वसूल की गई राशि की जानकारी उसी दिवस अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ0कमांक/चार/तीन/सं.क.वि./2025/
प्रतिलिपि-

646

भिलाई, दिनांक 16/09 /2025

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग जिला-दुर्ग को सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, छावनी, भिलाईनगर को सूचनार्थ।
6. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, वाहन शाखा नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ, कुर्की की कार्यवाही के दौरान डम्पर/ जे.सी.बी. की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करे।
8. प्रभारी अधिकारी, तोड़-फोड़ दस्ता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ, कुर्की की कार्यवाही के दौरान अपने दल के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करे।
9. संबंधित थाना प्रभारी, सुपेला, छावनी, खुर्सीपार, भिलाई नगर, वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग को सूचनार्थ।
10. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्रीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. परियोजना प्रबंधक, मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा. लिमि. ब्रांच भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई